

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 506 / भू अ०

दिनांक : 30/5/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—भौड़ा जमुआ, थाना—सारवां, थाना सं०—396, अंचल—सारवां, जिला—देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा मुरचुरा मोड़ (एन०एच० 114ए पर)—छतरा—बगडबरा—कोल्हड़िया—सोनारायडीह (एम०डी०आर०—224 पर) पथ पर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—भौड़ा जमुआ, थाना—सारवां, थाना सं०—396, अंचल—सारवां, जिला—देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.48 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	9	1487	रैयती	बाड़ी-2	0.035	शहाबुद्दीन मियां वो सलामत मियां वो मानो मियां वो इब्राहिम मियां पे० मंगरू मियां वो उमावली मियां पे० बुधु मियां वो मुस्तकीम मियां वो सलीम मियां वो इकबाल मियां वो हाकिम मियां वो कादीर मियां वो मकबुल मियां वो ताजमुल मियां पे० चनु मियां वो सकीला बीबी पति भुटो मियां वो जेरुन बीबी वो मेहरुण बीबी वो रजिया बीबी पे० भुटो मियां वो रुस्तम मियां वो सफीद मियां वो लतीफ मियां वो उस्मान मियां पे० शनु मियां वो खुरसेद मियां वो कलामुद्दीनमियां वो ननकु मियां पे० रसीद मियां कौम—मौतीन, सा० देह, टोला—खेरवरिया।	अर्जित I खेसा रा का शेष भाग	पिपरा थाना संख्य I 401,	बिन जा थाना संख्य I 402	पोडैइ या, थाना संख्या — 397
2	9	1488	रैयती	बाड़ी-2	0.035	आजाद मियां वो सजाद मियां पे० दुखी मियां वो शकुल मियां वो समसुद्दीन मियां पे० नाथु मियां वो भदु मियां वो हबी मियां पे० कशरूदी मियां वो इस्लाम मियां हारुन मियां वो शराफत मियां पे० नवी मियां वो निजामुद्दीन मियां वो फजल मियां वो खुरसेद अंसारी पे० इब्राहीम मियां कौम मौमीन सा० देह। टोला—खेरवरिया।				
3	9	1491	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
4	6	1490	रैयती	बाड़ी-2	0.015	भागु मियां पे० शबरुद्दीन मियां। सा० देह। खेरवरिया (ज०रै०)				
5	15	1478	रैयती	बाड़ी-2	0.04	शमतली मियां पे० युसूफ मियां वो रुस्तम मियां वो अली मियां वो इकरामूल मियां वो मजीद मियां वो गफूर मियां वो नसरुद्दीन मियां पे० हनिफ मियां वो शौकत अंसारी वो मझला मियां				



						पे० जफीर मियां वो रहीम मियां पे० जोवादली मियां। सा० देह। टोला-खेरवरिया।
6	15	1482	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव।
7	20	1483	रैयती	बाड़ी-2	0.025	हासिम मियां वो सुल्तान मियां, पे० कोदो मियां वो हुरो बीबी पे० रसुल मियां वो समसुल मियां पे० कुर्वान मियां। सा० देह। टोला-खेरवरिया।
8	27	1120	रैयती	बाड़ी-2	0.01	भुवनेश्वर पहाड़िया वो सुरेश पहाड़िया पे० राजू पहाड़िया वो मुसाफिर पहाड़िया पे० विशु पहाड़िया वो जगदीश पहाड़िया वो कारु पाड़िया वो जनार्दन पहाड़िया पे० शंभुनाथ पहाड़िया। सा० बिन्झा।
9	30	1570	रैयती	बाड़ी-2	0.015	युसूफ मियां वो इद्रीश मियां, पेरमजान मियां वो युनुस मियां वो हारुण मिया वो जलाल मियां पे० मोहम्मद मियां। सा० पिपरा।
10	30	1571	रैयती	बाड़ी-2	0.01	नाजीर अंसारी पे० प्रितम मियां वो सकीला बीबी पे० आशिक मियां। सा० पिपरा।
11	40	1479	रैयती	बाड़ी-2	0.02	धनपति मियां पे० हेमतली मियां सादेह। टोला खेरवरिया। (ज०रै०)
12	40	1493	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।
13	40	1480	रैयती	बाड़ी-2	0.03	महमूद अंसारी वो नाजीर अंसारी पे० मोसाफिर मियां। अंश समान सा० देह।
14	40	1492	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।
15	43	1481	रैयती	बाड़ी-2	0.04	कदीरन बीबी पे० ठाकुर मियां वो तितु मियां पे० खुसरू मियां वो मुस्तकीम मियां वो करीम अंसारी वो गुलाम मुस्तफा वो जफरूल अंसारी पे० नजरली मियां वो कलामुददीन मियां वो सरीफ अंसारी वो बसारत अंसारी पे० अब्दूल मियां वो हदीश मियां पे० पुरण मियां। सा० देह। टोला खेरवरिया।
16	43	1495	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।
17	43	1494	रैयती	बाड़ी-2	0.005	मुबारक मियां वो भुटो मियां वो लियाकत मियां वो सुलेमान मियां वो रिझु मियां पे० आयुब मियां। सा० देह। टोला खेरवरिया।
18	44	1578	रैयती	बाड़ी-2	0.035	मुकशेद अंसारी वो रसीद अंसारी पे० लगन मियां वो इलियास अंसारी वो रहमुल अंसारी पे० हातीम मियां वो कोबाद अंसारी पे० गरभु मियां। सा० पिपरा।
19	47	1572	रैयती	बाड़ी-2	0.005	सजाहन अंसारी वो सनाउल अंसारी पे० दाउत मियां वो मुस्तामीन मियां वो इस्लाम मियां वो मुस्लिम मियां वो तसलीम मियां वो कासीम अंसारी पे० काउत मियां वो लालजी मियां पे० खखरू मियां वो कादीर मियां पे० खेलु मियां वो हेलु मियां वो झेलु मियां पे० अब्दुल मियां। सा० पिपरा।
20	47	1574	रैयती	बाड़ी-2	0.02	जमनी बीबी वो मयवा बीबी वो रफी बीबी पे० करीम मियां वो रूकसाना बीबी माता सफीया बीबी। सा० पिपरा।
21	47	1579	रैयती	बाड़ी-2	0.03	गुही मियां पे० मादो मियां वो बाजो अंसारी वो



						अवास अंसारी वो कारू अंसारी पे० अमीन मियां। सा० देह।			
22	49	1485	रैयती	बाड़ी-2	0.02	डोमन मियां पे० मंगल मिया। सा० देह। (ज०रै०)			
23	49	1489	रैयती	बाड़ी-2	0.01	हाड़ी मियां पे० मंगल मियां। सा० देह (ज०रै०)			
कुल रकवा-					<b>0.48</b>				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

देवघर

अपर समाहर्ता

देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक ...../ भू अ०, देवघर, दिनांक .....30/5/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारवां को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

देवघर

अपर समाहर्ता

देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।